भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1223

जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

भारतीय माध्यस्थम् परिषद

1223 श्री टी. एम. सेल्वागणपति :

श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवाद समाधान के संबंध में पूर्वानुमान, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2019 में माध्यस्थम् अधिनियम में भारतीय माध्यस्थम् परिषद (एसीआई) का प्रावधान था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या छह वर्षों के बाद भी एसीआई का गठन किया जाना अभी शेष है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत एसीआई के गठन के बिना अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के केन्द्र के रूप में उभर सकता है और यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परिषद के गठन में तेजी नहीं लाए जाने के क्या कारण है ;

(घ) क्या एसीआई की स्थापना नहीं किए जाने से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केन्द्र बनाने के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और यदि हां, तो एसीआई की स्थापना को शाघ्रातिशिघ्र सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ;

(ङ) क्या सरकार अधिदेशित पर्यवेक्षण निकाय के अभाव में संस्थागत मध्यस्थता को विनियमित करने अथवा बढावा देने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) कॉर्पोरेटस और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के तदर्थ स्वरुप से संस्थागत रूप देने में मध्यस्थता में लंबा समय लगने के क्या कारण हैं और इस परिवर्तन को सुगम बनाने में सरकार की क्या भूमिका है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : माध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 10, जिसके द्वारा माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में भाग 1 क का अंतःस्थापन किया गया है, में माध्यस्थता संस्थानों के वर्गीकरण को नियंत्रित करने वाली नीतियों को तैयार करने, माध्यस्थों की मान्यता प्रदान करने वाले पेशेवर संस्थानों को मान्यता देने और माध्यस्थता के क्षेत्र में

प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के लिए भारतीय माध्यस्थता परिषद नामक सात सदस्यीय निकाय की स्थापना का उपबंध है। भारतीय माध्यस्थता परिषद का गठन अभी तक नहीं हुआ है।

(ग) से (च) : पिछले दशक के दौरान, भारत सरकार ने भारत को माध्यस्थता केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न पहलें की हैं। इनमें वर्ष 2015, वर्ष 2019 और वर्ष 2021 में माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में किए गए संशोधन सम्मिलित हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य माध्यस्थता कार्यवाही का समय पर समापन, माध्यस्थों की निष्पक्षता, माध्यस्थता प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना और माध्यस्थता निर्णयों का शीघ्र प्रवर्तन सुनिश्चित करना है। इन संशोधनों का उद्देश्य संस्थागत माध्यस्थता को प्रोत्साहन देना, सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए विधि को अद्यतन करना और अस्पष्टताओं को दूर करना है, जिससे एक ऐसा माध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित हो सके जहां माध्यस्थता संस्थाएं उन्नत हो सकें।

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थता सहित संस्थागत माध्यस्थता को सुगम बनाने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के निर्माण के प्रयोजन के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थता केंद्र की स्थापना हेतु भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया गया है। यह केंद्र अपनी सुविधाओं में विश्व स्तरीय माध्यस्थता संबंधी सेवाएं किफायती रीति से प्रदान कर रहा है, जिसमें प्रतिष्ठित सूचीबद्ध माध्यस्थ और माध्यस्थता कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए अपेक्षित प्रशासनिक सहायता सम्मिलित है। इस केंद्र को देश में एक आदर्श माध्यस्थता संस्था बनाने की परिकल्पना की गई है, जिससे माध्यस्थता के लिए संस्थागत ढांचे की गुणवत्ता में सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा।

इसके अतिरिक्त, देश में संस्थागत माध्यस्थता के संबंध में जानकारी देने और इसे प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर उपाय किए जा रहे हैं। जून 2025 में, विधि कार्य विभाग भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थता केंद्र और एक केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यम तेल और प्राकृतिक गैस निगम के सहयोग से, केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों के बीच संस्थागत माध्यस्थता के फ़ायदों के संबंध में जानकारी देने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया था। यह सम्मेलन संस्थागत माध्यस्थता पर संवाद और भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थता केंद्र के अंतर्गत संस्थागत माध्यस्थता को अपनाने के महत्व पर चर्चा के लिए एक सक्रीय मंच के रूप में कार्य करता है।

सितंबर 2025 में, भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थता केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय में संस्थागत माध्यस्थता पर ऑक्सफोर्ड शैली की बहस का आयोजन किया, जिसमें प्रख्यात वक्ताओं द्वारा अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए गए थे। इसके पश्चात, सितंबर 2025 में ही, भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थता केंद्र द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गनाइजेशन के सहयोग से संस्थागत माध्यस्थता विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें निर्यातकों को वाणिज्यिक विवादों के समाधान में संस्थागत माध्यस्थता के महत्व को समझने के लिए एक साथ लाया गया था।

भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थता केंद्र ने वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों पर ज्ञान और प्रक्रियाओं के प्रसार के लिए अपनी वार्षिक पत्रिका का एक नया संस्करण भी प्रवर्तन किया है। इस पत्रिका में अन्य लोगों के अलावा, उल्लेखनीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थता विशेषज्ञों के लेख सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, कतिपय केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों, जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने विवाद समाधान खंडों में भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थता केंद्र को माध्यस्थ संस्था के रूप में अपनाया।

भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थता केंद्र संस्थागत माध्यस्थता के लाभों का प्रसार करने का कार्य भी जारी रखे हुए है।
